कार्यालय निदेशक सीमा सुरक्षा बल अकादमी, टेकनपुर ग्वालियर, मध्य प्रदेश

//सार्वजनिक नीलामी सूचना //

सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर व इसकी विभिन्न इकाइयों की निम्नलिखित अनुपयोगी वस्तुओं की सार्वजनिक नीलामी दिनॉक 05 एवं 06 अप्रैल 2017 को प्रातः 10.00 बजे रसद शाखा परिसर, सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में होगी :—

क्र. सं	भंडार का नाम	जमानत राशि	नीलामी दिनांक
1.	मिश्रित, टेन्टेज, कल्याण एवं हॉट एण्ड कूल भंडार	रू0 1,32,000/—	05 अप्रैल 2017
2.	फर्नीचर, एफ0एफ0ई व टूल्स भंडार		
3.	क्लोदिंग		
4.	डिफेन्स व बर्तन भंडार		
5.	परिवहन शाखा		
6.	संचार शाखा व सूचना एवं प्रोद्योगिकी		
7.	शस्त्र निरीक्षणालय	रू0 40,000/—	06 अप्रैल 2017
8.	प्रशिक्षण स्टोर		
9.	अधिकारी संस्थान		
10.	आर0ई/विद्युत		
11.	एफओएस (पुराने अखबार व मेगजीन)		
12.	एसटीएस विंग		
13.	प्रिटिंग प्रेस (वेस्ट पेपर)		
14.	मुख्य कार्यालय (पुराने टाईपराइटर)		

नीलामी हेतु निम्नलिखित नियम/शर्तें हैं :—

1. उपरोक्त तालिका में दर्शाई गई अनुपयोगी वस्तुओं की नीलामी सक्षम अधिकारी सीमा सुरक्षा बल अकादमी द्वारा नियुक्त अधिकारियों की समिति द्वारा पृथक—पृथक की जायेगी।

2. उपरोक्त तालिका में दर्शायी गयी जमानत राशि नीलामी स्थल पर नीलामी से पूर्व नगद जमा करना होगा ।

3. इच्छुक बोलीदाता रूपये 1000/— (रूपये एक हजार) मात्र न वापसी योग्य राशि बतौर प्रवेश शुल्क पहले जमा करने के उपरान्त सम्बंधित वस्तुओं का निरीक्षण कर सकता है एवं तालिका में दर्शाई गयी जमानत राशि (वापसी /समायोजन योग्य राशि) जमा करने के उपरान्त ही बोलीदाता बोली लगाने के हकदार होगें। प्रवेश शुल्क दोनों दिन के लिए मान्य होगा । बोलीदाता द्वारा एक दिन की नीलामी में भाग लेने हेतु भी प्रवेश शुल्क रू0 1000/— ही रहेगा ।

4. प्रतिभागियों को नीलामी के समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत कोई एक पहचान पत्र, की छाया प्रति जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हो लगाना होगा एवं उसकी मूल प्रति भी दिखाना होगा ।

5. उपरोक्त अनुपयोगी वस्तुयें उच्चतम बोलीदाता को नीलामी स्थल पर ही नकद भुगतान करने पर दे दी जायेगी, बशर्ते कि उच्चतम बोली विभाग द्वारा वस्तुओं की निर्धारित रिजर्व मूल्य से अधिक हो ।

6. उच्चतम बोलीदाता द्वारा लगायी गयी बोली पर नियमानुसार विक्रय कर (सेल्स टैक्स) अलग से देय होगा ।

7. उपरोक्त शर्ते 5 व 6 के पालन में असमर्थ होने पर सफल बोलीदाता की जमानत राशि पूर्ण रूप से जब्त कर ली जायेगी ।

8. नीलामी खत्म होने के बाद विभाग का नीलामित वस्तुओं के रख–रखाव की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं उच्चतम बोलीदाता को उसी दिन नीलामित वस्तुओं/सामान को उठाना होगा।

9. निदेशक सीमा सुरक्षा बल अकादमी के पास बिना कारण बताये नीलामी को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा ।

10. इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए सीमा सुरक्षा बल की वेबसाइट www.bsf.nic.inपर अथवा दूरभाष संख्या 07524–275208, 274200 एक्सटेंशन 151/179 पर ली जा सकती है ।

10/3/17

(नवीन कुमार त्यागी)
उप कमाण्डेन्ट (रसद)
वास्ते निदेशक
सीमा सुरक्षा बल अकादमी
टेकनपुर, ग्वालियर (म0प्र0)

10/3/17